राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–591/2009/नागौर

भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिटिमेड,
सालावास्ट, जोधपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सचिव
2. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक नागौर। ....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.के.गर्ग
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.04.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 29.01.2009 प्रकरण संख्या 14/05 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक नागौर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रश्नगत दस्तावेज अप्रार्थी सं 1 द्वारा एक सम्पत्ति प्रार्थी सं. 1 को एक करार की शर्तो के तहत भारत पैट्रोलियम लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा ग्राम भरूरोद जिला नागौर के खसरा नम्बर 173 में 150 x 150 फुट 22500 वर्गफुट भूमि पैट्रोल पम्प हेतु दिनांक 30.09.2000 को 20 वर्षो के लिये पट्टे पर एक लीज डीड निष्पादित कर पंजीयन हेतु उपपंजीयक नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक ने दिनांक 25.01.2001 को लीज डीड निष्पादित कर प्रार्थी को लौटा दिया। तत्पश्चात् ऑडिट में विभागीय परिपत्र क्रमांक 32189–623 दिनांक 01.10.99 को आधार मानकर उक्त लीज डीड पर मुद्रांक शुल्क व पंजीयन शुल्क बाजार मूल्य पर लिये जाने की सिफारिश की। आंतरिक लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दस्तावेज की मालियत मुद्रांक कर एफ 89,100/– एवं पंजीयन शुल्क 8,910/– मानकर प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिये मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क क्रमशः 8,520/– एवं 855/– को कम करते हुये अन्तर कर मुद्रांक शुल्क 80,580/– एवं पंजीयन शुल्क 8,055/– कुल राशि रू 88,635/– का ऑडिट मीमो तैयार किया

लगातार.....2

गया। राशि वसूली हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायायल में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को स्वीकार करते हुये सम्पत्ति की मालियत 8,91,000/– एवं पंजीयन शुल्क राशि रू 89,100/– मानकर प्रार्थी द्वारा पूर्व में जमा मुद्रांक कर राशि रू 8,520/– व पंजीयन शुल्क राशि रू 855/– को कम करते हुये अन्तर मुद्रांक कर राशि रू 80,580/– एवं पंजीयन शुल्क राशि रू 8,055/– तथा शास्ति राशि रू 115/–रू कुल राशि रू 88,750/– रू. प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। निर्णय फोटोकॉपी में रिक्त स्थानो की पूर्ति करते हुए पारित किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग एवं नॉनरिजण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के इस बिन्दु पर आधारित था कि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार आर्टिकल 55 के तहत लीज डीड जिसमें किराये के साथ–साथ शास्ति, प्रीमियम एवं प्रतिभूति की व्यवस्था हो, 20 वर्ष या अधिक की लीज की विषय वस्तु वाली सम्पत्ति की मार्केट वेल्यु पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक के नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच नहीं की है। निर्णय में भी रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार करने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। निर्णय में विवेचना एवं विश्लेषण का अभाव है। निर्णय में नॉन स्पीकिंग एवं नॉनरिजण्ड है। इस प्रकार निर्णय विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार विवादित बिन्दु के उचित निस्तारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.06.2018 को पेश हों।

10. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य